राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुविधाएं

2019. **श्री शिवचरण सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करा रही है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किन-किन स्थानों पर सैनिक विश्राम गृह बनाये गये हैं और क्या सरकार सवाईमाधोपुर में हिन्डौन में सैनिक विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा आकलित भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 4 लाख है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ग) राजस्थान में 16 सैनिक विश्राम-गृह हैं । ये विश्रामगृह अजमेर, जयपुर, जोधपुर, शेरगढ़, भरतपुर, भीम, कोटा, बीकानेर, नागौर, बूंदी, पाली, मेवाड़, सीकर, चूरू, उदयपुर और झुनझुनू में हैं। सवाई-माधोपुर स्थित हिन्डौन में सैनिक विश्रामगृह बनाने के बारे में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली रिआयतें और सुविधाएं

1. **सैनिक अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा :** जो भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार और दिवंगत सैन्य-कार्मिकों के परिवार के सदस्य किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं, उनका नजदीकी सैनिक अस्पताल में बहिरंगी रोगी के रूप में निःशुल्क इलाज किया जाता है और उन्हें, उन अस्पतालों में उपलब्ध दवाइयां भी दी जाती हैं । इन कार्मिकों का इन अस्पतालों में अन्तरंग रोगी के रूप में भी इलाज किया जा सकता है परन्तु इसके लिए कुछ शर्तें हैं ।

2. **मकान बनाने/उनकी मरम्मत करने के लिए अनुदान :** राज्य सरकारों द्वारा युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों तथा युद्ध में निशक्त हुए सैन्यकार्मिकों को मकान बनाने उनकी मरम्मत करने के लिए दी जाने वाली 50% अनुदान राशि की केन्द्रीय सरकार (केन्द्रीय सैनिक बोर्ड) द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है परन्तु यह राशि 10,000/- रु. से अधिक नहीं दी जाती है ।

3. **युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की लड़कियों के विवाह के लिए अनुदान :** युद्ध में वीरगति सैनिकों की पत्नियों अथवा युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों, जिनकी निशक्तता 50% से अधिक है, की लड़कियों के विवाह के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड अनुदान राशि के रूप में 4,000/-रु. देता है ।

4. **दयनीय स्थिति में आर्थिक सहायता :** जिन भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में वीरगतिप्राप्त सैनिकों की पत्नियों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, उन्हें केन्द्रीय सरकार (केन्द्रीय सैनिक बोर्ड) द्वारा, प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है ।

5. **रक्षा मंत्री की पेंशन अपील समिति :** जिन मामलों में निशक्तता, सैन्य सेवा के कारण नहीं होती है और परिवार पेंशन के दावे नामंजूर कर दिए जाते हैं, उन मामलों के संबंध में निम्नलिखित अनुदान दिए जाने के लिए रक्षा मंत्री की पेंशन अपील समिति द्वारा विचार किया जाता है :—

(क) दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा 25/- रुपए प्रतिमाह की दर से शिक्षण भत्ता परन्तु यह राशि 3000/- रुपए तक अथवा 05 वर्ष तक, इनमें से जो भी पहले हो, दी जाएगी ।

(ख) वृद्ध माता-पिता के मामले में 2000/- रुपए तक की एकमुश्त अनुदान राशि ।

(ग) सिलाई मशीन की कीमत ।

(घ) स्वरोजगार के लिए 2000/- रुपए की एकमुश्त अनुदान राशि ।

6. **कैन्टीन सुविधाएं** : भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य यूनिटों/स्थापनाओं में स्थित कैन्टीन स्टोर विभाग (आई) से कैन्टीन सुविधाएं लेने के हकदार हैं। इसके अलावा, प्रादेशिक सेना के निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक भी सेवानिवृत्ति के बाद कैन्टीन सुविधाएं लेने के हकदार हैं :—

(क) सतत् अंगीभूत सेवा के लिए पेंशन पाने वाले कार्मिक ।

(ख) सैन्य सेवा के कारण निशक्त हुए कार्मिक ।

(ग) शौर्य पुरस्कार विजेता ।

7. **हवाई यात्रा रिआयत** : निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक इण्डियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में हवाई यात्रा भाड़े में 50% रिआयत पाने के पात्र हैं :—

(क) श्रेणी-1 और श्रेणी-2 अर्थात् परम वीरचक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र पुरस्कार प्राप्तकर्ता ।

(ख) युद्ध में स्थायी रूप से निशक्त हुए अफसर, जिन्हें डाक्टरी आधार पर सेवामुक्त किया गया हो तथा उनके परिवार के सदस्य ।

(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियां ।

8. **भारत सरकार के नामित व्यक्तियों के रूप में आयुर्विज्ञान/इंजीनियरी महाविद्यालयों में दाखिले की व्यवस्था** : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सशस्त्र सेनाओं के विवंगत निशक्त/सेवारत कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों/विधवाओं और उनके बच्चों के नामांकन के लिए आयुर्विज्ञान/दंतचिकित्सा और इन्जीनियरी महाविद्यालयों में एम बी बी एस, बी डी एस और इन्जीनियरी पाठ्यक्रम में हर वर्ष कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड हर वर्ष मई के महीने में आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है ।

9. **युद्ध स्मारक हास्टलों में आवास की व्यवस्था** : विभिन्न रेजिमेंटल केन्द्रों में 26 युद्ध स्मारक हास्टल बना लिए गए हैं तथा 11 और हास्टल बनाए जा रहे हैं इन हास्टलों में युद्ध में वीरगतिप्राप्त सैनिकों की पत्नियों, युद्ध में निशक्त हुए और शांतिकाल में सेवा के दौरान हताहत हुए कार्मिकों के बच्चों को रखा जाता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें ।

10. **सेवानिवृत्ति के बाद सशस्त्र सेना कार्मिकों के विवाह को मान्यता देना** : सरकार ने घोषणा की है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात 02 जून, 89 से विधिवत् रूप से विवाह करने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों को साधारण परिवार पेंशन पाने की मंजूरी के लिए मान्यता दी जाएगी परन्तु इसके लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी :—

(क) सेवानिवृत्ति कार्मिक ने पहली बार विवाह किया हो और यह विवाह सेवानिवृत्ति की तारीख से 5 वर्ष के भीतर अथवा 45 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, विधिवत् रूप से किया गया हो ।

(ख) विवाह पंजीकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास विवाह का पंजीकरण किया गया हो ।

11. **बर्मा आर्मी पेंशनरों को अनुग्रह भत्ता** : वे बर्मा आर्मी पेंशनर जो भारतीय नागरिक हैं और भारत में अपनी पेंशन ले रहे हैं उन्हें अनुग्रह भत्ता दिया जाता है ताकि उनकी मौजूदा पेंशन में वृद्धि की जा सके और वे अपनी बढ़ी हुई पेंशन पर 01 जून, 1987 से प्रतिमाह 375/-रु. की राहत-राशि ले सकें । ऐसे पेंशनरों की मृत्यु होने पर यह भत्ता उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा ।

12. **टूल किट** : युद्ध संतप्त, युद्ध निशक्त और अन्य भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत कार्मिकों को एकीकृत विशेषनिधि में से 2000/-रु. से अनधिक की राशि का टूल किट दिया जाता है बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(क) उक्त कार्मिक टूल किट इस्तेमाल करने की अर्हता रखता हो ।

(ख) उक्त कार्मिक के पास प्रस्तावित कारोबार चलाने की समुचित व्यवस्था हो ।

13. **गंभीर रोगों के इलाज के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता देना** : भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को किसी सिविल/मान्यता प्राप्त अस्पताल के जनरल वार्ड में गंभीर रोगों का इलाज कराने के लिए कुल चिकित्सा व्यय के 60% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे रोगों के इलाज की वर्तमान दरें इस प्रकार हैं :—

(क) बाइपास सर्जरी (जिसमें एंजियोग्राफी जैसे प्रारंभिक परीक्षण भी शामिल हैं) 13,000 रु. से 21,000 रु. तक

(ख) एंजियोप्लास्टी 900 रु. से 5,500 रु. तक

(ग) किडनी/रेनल ट्रांसप्लांटेशन 9000 रु. से 48,000 रु. तक

(घ) कैंसर/स्क्लेरोटिक पैराप्लेजिक्स कुल व्यय का 60%

(ङ) कोरोनरी आर्टरी सर्जरी 4,500 रु.

14. **शैक्षिक रियायतें** : ऑपरेशन "पवन" और "मेघदूत" समेत युद्ध में वीरगति प्राप्त या अशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के जो बच्चे शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं वे निम्नलिखित शैक्षिक रियायतें पाने के हकदार हैं :—

(क) सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान द्वारा लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क की अदायगी से पूरी छूट ।

(ख) छात्रावास विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रावास का पूरा प्रभार वहन करने के लिए अनुदान ।

(ग) पुस्तकों तथा लेखन सामग्री पर होने वाला पूरा व्यय ।

(घ) जहां वर्दी आवश्यक हो वहां वर्दी की पूरी कीमत ।

15. **रेल यात्रा रियायत** : युद्ध में वीरगति प्राप्त जवान, जिसमें भारतीय शान्ति सेना बल के हताहत हुए जवान भी शामिल हैं, की पत्नियों को रेल में यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया दिया जाता है । यह रियायत केन्द्रीय सेवा बोर्ड द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र पेश करने पर ही दी जा सकती है । हाल ही में भारत सरकार ने परम वीरचक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीरचक्र कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र पाने वाले अफसरों को रेल से यात्रा करने पर रेल भाड़े में 50 प्रतिशत तक की रियायत देने की घोषणा की है ।

Rehabilitation Centres for War Widows in Maharashtra

2020. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) what are the locations of rehabilitation centres set up for the war widows in Maharashtra;

(b) what is the amount allocated to these centres during each of the last three years and what are the details of their activities;

(c) whether Government have received complaints or representations regarding improper functioning of these centres; and

(d) if so, the details thereof and also the action taken thereon ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR) : (a) No rehabilitation centre for the war widows exists in the State of Maharashtra.

(b) to (d) Do not arise.

Security Risk at Dabolim Naval Airport due to new construction

2021. SHRI JOHN F. FERNANDES : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of new construction coming up at Dabolin Naval Airport, overlooking the runway hardly 30 metres away from the take off area, which can pose a great risk to defence and VVIP aircraft;

(b) if so, whether the land around the airport has been frozen for such construction as per Civil Aviation norms; and

(c) what Government propose to do to rectify such security risk ?